

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 52/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कमलादेवी बनाम अगरी वगैरा

पोटासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्राथीनी वकील - श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय


दिनांक - 11.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीनी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार हल्का सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 1078/321 रकबा 14.19 बीघा किरम बरानी सोयम स्थित है। प्राथीनी के खेत के पास विप्राथीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्राथीनी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अवसर विप्राथीगण सेड़ो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्राथीनी एवं विप्राथीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथीनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहती है। प्राथीनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्राथीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्राथीनी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्राथीगण के वक्त काशत प्राथीगण व विप्राथीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्राथीनी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्राथीनी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्राथीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील धनाऊ पटवार हल्का सरूपे का तला के मौजा सरूपे का तला के खेत खसरा संख्या 1078/321 रकबा 14.19 बीघा किरम बरानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्राथीनी के खसरों की नेखमबन्दी विप्राथीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्राथीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

